न्यायालय के आदेशों की अवेलहना बर्दाश्त नहीं : हाईकोर्ट

▶ सख्त हिदायत के साथ ब्याज भुगतान के लिए 3माह का समय

जबलपुर, 8 जुलाई. मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने न्यायालय के आदेशों को हल्के में लेने वाले अधिकारियों को सख्त संदेश दिया है कि कोर्ट के निर्देश केवल कागजों के लिए नहीं होते. समय-सीमा तय नहीं होने से अवमानना की कार्रवाई तो फिलहाल टल गई, लेकिन कोर्ट ने 90 दिन की अंतिम मोहलत देते हुए ब्याज सहित मूल आदेश का पालन हर हाल में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

दरअसल याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मोहनलाल शर्मा ने पक्ष रखा. कोर्ट ने नरसिंहपुर जिले के करेली निवासी सेवानिवृत्त उच्च श्रेणी शिक्षक रामदर्शन शर्मा की अवमानना याचिका का निराकरण करते हुए उक्त आदेश पारित किया. याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट ने 25 फरवरी 2026 को पारित आदेश में नियमित वेतनमान के एरियर पर आठ प्रतिशत बैंक दर से ब्याज देने का निर्देश दिया थाए लेकिन संबंधित अधिकारियों ने अब तक आदेश का पालन नहीं किया. इसके चलते अवमानना याचिका दायर करनी पड़ी. सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि मूल आदेश में पालन के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं थी. इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में अवमानना का मामला नहीं बनता. हालांकि न्यायहित को देखते हुए न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को 25 फरवरी 2026 के आदेश का 90 दिन के भीतर पालन करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि में आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए. इन टिप्पणियों के साथ अवमानना याचिका का निराकरण कर दिया गया.

नए भूमि अधिग्रहण कानून से तय होगा मुआवजा

मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने भूमि अधिग्रहण मामलों में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि नया कानून लागू होने के बाद पुराने अधिनियम के तहत मुआवजा तय नहीं किया जा सकता. एकलपीठ ने दमोह निवासी राम कुमार गुप्ता की याचिका स्वीकार करते हुए 29 अप्रैल 2015 का मुआवजा अवार्ड निरस्त कर दिया और 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत नया अवार्ड पारित करने के निर्देश दिए. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आशीष त्रिवेदी, प्रशांत अवस्थी, असीम त्रिवेदी और आनंद कुमार शुक्ला ने पक्ष रखा. जबकि राज्य शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता सिद्धार्थ गोंटिया उपस्थित हुए. दलील दी गई कि निष्पक्ष मुआवजा व भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 एक जनवरी 2014 से लागू हो चुका था. इसके बावजूद 29 अप्रैल 2015 को समाप्त हो चुके 1894 के कानून के आधार पर अवार्ड पारित कर दिया गया, जो विधिसम्मत नहीं था. न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए मामला पुनः भूमि अधिग्रहण अधिकारी-सह-अनुविभागीय अधिकारी को भेज दिया. कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने के 90 दिनों के भीतर 2013 के अधिनियम के अनुसार मुआवजा तय कर नया अवार्ड पारित किया जाए.

2015 का अवार्ड किया निरस्त

बदहाल सड़कों से लोगों का जीना मुश्किल

चिचोली. नगर परिषद चिचोली क्षेत्र में जर्जर सड़कों, बीच सड़क पर बने गहरे गड्ढों और बरसात के दौरान कीचड़ व जलभराव की समस्या ने आम नागरिकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. कई वार्डों में हालात ऐसे हैं कि पैदल चलना भी चुनौतीपूर्ण हो गया है, जबकि दोपहिया वाहन चालकों को हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है. नगर के लक्ष्मीबाई वार्ड, महाराणा प्रताप वार्ड, तिलक वार्ड, टैगोर वार्ड एवं शास्त्री वार्ड ,वार्ड क्रमांक 11 की कई सड़कें लंबे समय से बदहाल स्थिति में हैं. स्थानीय रहवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार नगर परिषद और जनप्रतिनिधियों से सड़क मरम्मत की मांग की, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई. इससे संबंधित वार्ड पार्षदों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं. वार्ड क्रमांक 3 और 4 में जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से बरसात के दिनों में सड़कें तालाब का रूप ले लेती हैं. जलभराव के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

संबल योजना : 907 आवेदन लंबित

सत्यापन और ई-केवाईसी को बताया वजह

नवभारत न्यूज

बैतूल, 8 जुलाई. जिले में संबल योजना प्रशासनिक सुस्ती और सत्यापन प्रक्रिया की खामियों का शिकार होती नजर आ रही है. ऑनलाइन आवेदन करने के बावजूद 900 से अधिक प्रकरण महीनों से लंबित हैं.

नतीजा यह है कि जरूरतमंद श्रमिक परिवार योजना के तहत मिलने वाली प्रसूति सहायता, दुर्घटना एवं मृत्यु पर अनुग्रह राशि, शिक्षा प्रोत्साहन और अन्य सुविधाओं से वंचित हैं. दरअसल संबल योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, लेकिन आवेदन लंबित रहने से इसका सबसे अधिक नुकसान उन्हीं परिवारों को उठाना पड़ रहा है, जिन्हें तत्काल सहायता की आवश्यकता होती है.

प्रसूति सहायता, दुर्घटना या सामान्य मृत्यु पर मिलने वाली आर्थिक मदद, बच्चों की शिक्षा के लिए मिलने वाली छात्रवृत्ति तथा अन्य योजनाओं का लाभ आवेदन स्वीकृत होने तक नहीं मिल पाता. डिजिटल संबल कार्ड भी आवेदन स्वीकृत होने के बाद ही जारी होता है, जिससे अन्य योजनाओं में भी बाधा आती है. हितग्राहियों का कहना है कि प्रशासन को चाहिए कि लंबित आवेदनों के त्वरित निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए, सत्यापन में लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार कर्मचारियों की जवाबदेही तय हो और श्रमिकों को समय पर उनका अधिकार मिल सके.

> संबल योजना में पंजीयन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है. इसके बाद भी सत्यापन की रफ्तार धीमी है. श्रम विभाग लंबित आवेदनों के पीछे आधार ई-केवाईसी और भौतिक सत्यापन में आने वाली दिक्कतों को प्रमुख कारण बता रहा है. विभाग का कहना है कि कई हितग्राही मजदूरी के लिए जिले से बाहर चले जाते हैं और वहीं से आवेदन कर देते हैं.

जानकार बताते है कि संबल योजना के तहत मजदूर की दुर्घटना में मौत होने पर 4 लाख रुपये, सामान्य मौत पर 2 लाख, स्थाई अपंगता पर 2 लाख, आंशिक अपंगता पर एक लाख और अंतिम संस्कार के लिए 5 हजार रुपये की अनुग्रह राशि मिलती है.

जनपद स्तर के आवेदन सबसे ज्यादा पेंडेंसी

जिले में नगरीय निकायों की अपेक्षा जनपद स्तर पर आवेदनों की पेंडेंसी अधिक है। जिले के जनपदों में करीब 823 आवेदन लंबित है, वहीं निकायों की स्थिति काफी बेहतर है। निकायों में योजनों के मात्र 84 आवेदन लंबित है। जनपद स्तर पर सबसे अधिक पेंडेंसी बैतूल और भैंसदेही जनपद में दर्ज की गई है। बैतूल जनपद में 145 तथा भैंसदेही में 121 आवेदन लंबित हैं।

नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत पर लें फैसला

हाईकोर्ट के जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने धनपुरी नगर परिषद अध्यक्ष रविंदर कौर छावड़ा के जाति प्रमाण-पत्र से जुड़े विवाद में शहडोल कलेक्टर को 90 दिन के भीतर शिकायत का निराकरण करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने इस आदेश के साथ याचिका का निपटारा कर दिया. यह याचिका धनपुरी नगर परिषद के पार्षद आनंद कचेर, भोला प्रसाद पनिका और स्कंद कुमार सोनी की ओर से दायर की गई थी. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि अध्यक्ष रविंदर कौर छावड़ा ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा, जबकि उनका पूर्व का ओबीसी प्रमाण-पत्र एसडीओ द्वारा निरस्त किया जा चुका था. इसके बावजूद उन्होंने नया जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ब्रजेश मिश्रा और कमलेश द्विवेदी ने अदालत को बताया कि इस संबंध में 24 मार्च 2026 को शहडोल कलेक्टर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई थी, लेकिन कई महीने बीतने के बाद भी उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया. सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कलेक्टर को निर्देश दिया कि शिकायत का विधि अनुसार परीक्षण कर 90 दिनों के भीतर अंतिम निर्णय लिया जाए. न्यायालय ने उक्त निर्देश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया.

वयस्क होने के आधार पर बीस साल की सजा निरस्त

मप्र हाईकोर्ट ने डिंडौरी के एक पाक्सो प्रकरण में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए अपील स्वीकार कर आरोपी मुकेश पंद्रो की दोषसिद्धि और सजा निरस्त कर उसे दोषमुक्त कर दिया. जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की युगलपीठ ने कहा कि अभियोजन यह साबित नहीं कर सका कि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी. विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) डिंडौरी ने आरोपी को आईपीसी की धाराओं 363, 366 व पाक्सो अधिनियम की धारा के तहत दोषी ठहराकर 20 वर्ष सहित विभिन्न अवधियों की सजा सुनाई थी. हाईकोर्ट में बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि पीड़िता अपनी इच्छा से आरोपी के साथ गई थी और दोनों के बीच सहमति से संबंध थे. सुनवाई के दौरान जन्मतिथि संबंधी दस्तावेजों में विरोधाभास सामने आया. न्यायालय ने पाया कि जन्म प्रमाण-पत्र घटना के करीब 11 वर्ष बाद बनाया गया था, जबकि पीड़िता की मां के बयान के आधार पर उसकी जन्मतिथि वर्ष 2005 मानी गई. इससे घटना के समय उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक निकली. डीएनए रिपोर्ट समेत उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करते हुए न्यायालय ने दोषसिद्धि निरस्त कर आरोपी की तत्काल रिहाई के निर्देश दिए. अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता शीर्ष अग्रवाल व शिवम कछवाहा ने पैरवी की.

नरोत्तम मिश्रा ने भी खरीदा नामांकन पत्र

मेरे परिजन छोड़कर किसी और को टिकट दे कांग्रेस : राजेन्द्र भारती

नवभारत न्यूज

दतिया, 8 जुलाई. दतिया विधानसभा उपचुनाव में पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने नामांकन पत्र खरीदा है. अब तक कुल 9 फॉर्म बिके हैं. इस बीच कांग्रेस के निवर्तमान विधायक राजेंद्र भारती ने पार्टी आलाकमान से कहा है कि उनके परिवार को छोड़कर किसी अन्य मजबूत उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाए. उनके इस बयान के बाद दतिया उपचुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर कांग्रेस में हलचल बढ़ गई है.

दतिया उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र खरीदने की प्रक्रिया तेज हो गई है. चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार मतदान 30 जुलाई को होगा और नतीजे 3 अगस्त को आएंगे. पूर्व मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने फॉर्म खरीदकर अपनी संभावित दावेदारी के संकेत दिए हैं. राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद से यह सीट खाली हुई है. अब भारती परिवार ने चुनाव न लड़ने का मन बनाया है और कांग्रेस हाईकमान से किसी अन्य कार्यकर्ता या मजबूत चेहरे को खड़ा करने की अपील की है. फिलहाल दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस ने अभी तक अपने आधिकारिक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है.

गटर नालियों से निकल रहे जहरीले जीव-जंतु, लोगों में दहशत

गंजबासौदा. लगातार हो रही बारिश के बाद नगर की गटर और नालियों से सांप, गोह तथा अन्य जहरीले जीव-जंतु बड़ी संख्या में बाहर निकलने लगे हैं. इससे लोगों में दहशत का माहौल है. कई स्थानों पर ये जीव रिहायशी क्षेत्रों और घरों के भीतर तक पहुंच रहे हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के कारण गड्ढों, बिलों और नालियों में पानी भर जाने से जहरीले जीव अपने सुरक्षित ठिकानों की तलाश में बाहर निकल रहे हैं.

परमिट एक बस का, सड़क पर दौड़ रही दूसरी बस

बैतूल. जिले में बस संचालन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. आरोप है कि कई बड़े बस ऑपरेटर, जिनके पास 10 से 20 या उससे अधिक बसें हैं, नियमों को दरकिनार कर एक बस के नाम पर जारी परमिट से दूसरी बसों का संचालन कर रहे हैं. इससे न केवल परिवहन नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है, बल्कि ईमानदारी से व्यवसाय करने वाले छोटे बस संचालकों के साथ भी अन्याय हो रहा है.

जानकारी के अनुसार, बड़े बस संचालक अपनी सुविधा के अनुसार एक ही रूट पर सप्ताह में कई बार बसें बदल देते हैं. जिस बस के लिए परमिट स्वीकृत होता है, उसकी जगह दूसरी बस भेज दी जाती है.

सवाल यह है कि यदि ऐसा लगातार हो रहा है तो परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ती? छोटे बस संचालकों का आरोप है कि विभागीय कार्रवाई केवल एक-दो बसों वाले ऑपरेटरों तक सीमित रहती है, जबकि बड़े बस मालिकों पर कार्रवाई के नाम पर चुप्पी साध ली जाती है. इससे यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या जिले में नियम केवल छोटे संचालकों के लिए ही हैं.

इनका कहना है

ऐसा कोई मामला संज्ञान मे आता है तो निश्चित ही व्हीकल अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।
गजेंद्र केन, यातायात प्रभारी बैतूल

11 तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के तबादले

नवभारत न्यूज

छतरपुर, 8 जुलाई. जिला कलेक्टर कार्यालय ने प्रशासनिक कार्य व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुचारू बनाने के उद्देश्य से जिले के विभिन्न अनुभागों में पदस्थ 11 तहसीलदार, प्रभारी तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के अस्थायी स्थानांतरण एवं नवीन पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं.यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं.

जारी आदेश के अनुसार नौगांव, छतरपुर, राजनगर, बिजावर और लवकुशनगर अनुभागों में अधिकारियों की नई जिम्मेदारियां तय की गई हैं.कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है.विजय कुमार चौधरी को नौगांव/रानीपुरा के साथ महाराजपुर, भरत पाण्डेय को महाराजपुर-गढ़ीमलहरा, पीयूष दीक्षित को ब्रजपुरा, सुनील केवट को बक्स्वाहा-बाजना-बम्हौरी सहित अन्य अधिकारियों को विभिन्न मंडलों और तहसीलों की जिम्मेदारी दी गई है. कलेक्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि यह प्रशासनिक फेरबदल आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से प्रभावी रहेगा.

शादी कराने के नाम पर डेढ़ लाख की ठगी

6 दिन बाद ही चंपत हो गई छत्तीसगढ़ से आई लुटेरी दुल्हन

नवभारत न्यूज

गुना, 8 जुलाई. जिले में शादी के नाम पर धोखाधड़ी और ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक को घर बसाने का सपना देखना बेहद महंगा पड़ गया.

बिचौलिए के झांसे में आकर पीड़ित परिवार ने डेढ़ लाख रुपए देकर छत्तीसगढ़ की एक युवती से शादी कराई थी, लेकिन शातिर दुल्हन शादी के 6 दिन बाद ही दिन घर से जेवर और नगदी समेटकर रफूचक्कर हो गई. अब पीड़ित भाई इंसाफ के लिए पुलिस थाने से लेकर कलेक्ट्रेट तक के चक्कर काटने को मजबूर है.

दरअसल, बमौरी क्षेत्र के ग्राम आंतरसूना निवासी माखन सिंह लोधा ने आरोप लगाया है और पुलिस-प्रशासन से शिकायत की है कि पहलवान सिंह लोधा नामक एक व्यक्ति ने उनके 36 वर्षीय भाई शिव सिंह की शादी कराने का झांसा दिया था. पहलवान सिंह ने इसके एवज में डेढ़ लाख रुपए की मांग की और छत्तीसगढ़ की एक युवती का रिश्ता सामने रखा. भाई का घर बसते देखने की चाह में माखन सिंह ने पहलवान सिंह को डेढ़ लाख रुपए की भारी-भरकम राशि सौंप दी. पैसे लेने के बाद पहलवान सिंह उस युवती को लेकर आया. कानूनी औपचारिकता पूरी करते हुए शिव सिंह और उक्त कथित युवती की बाकायदा कोर्ट मैरिज भी कराई गई. शादी के बाद युवती करीब 6 दिनों तक माखन सिंह के घर पर रुकी रही.

ऐसे हुआ संदेह

शिव सिंह के घर आते ही युवती की हरकतों से शक होने लगा

मंदिर में जलभराव से श्रद्धालुओं में आक्रोश, बाउंड्री वॉल की मांग

नवभारत न्यूज

पठारी, 8 जुलाई. नगर के प्राचीन राम जानकी राज मंदिर परिसर में हर वर्ष की तरह इस बार भी बारिश के दौरान जलभराव की गंभीर समस्या सामने आई है. तेज बारिश होते ही मंदिर परिसर में गंदा पानी भर जाता है, जिससे श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश करने और पूजा-अर्चना करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. लंबे समय से चली आ रही इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग अब तेज हो गई है.

मंदिर के पुजारी मदन गोपाल दास ने बताया कि प्रत्येक वर्ष बरसात के मौसम में मंदिर परिसर पानी से भर जाता है. जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण श्रद्धालुओं का आवागमन प्रभावित होता है और कई बार लोग फिसलकर गिरने की स्थिति में पहुंच जाते हैं. नियमित पूजा-अर्चना और धार्मिक आयोजन भी इससे प्रभावित होते हैं.

अस्पताल का पुरुष शौचालय 10 दिन से बंद

नवभारत न्यूज

खुरई 8 जुलाई. पहले जहां कर्मचारी समय से अस्पताल नहीं पहुंच रहे थे, वह अब समय से अस्पताल पहुंचने लगे है. परंतु अब नई समस्या सामने आकर खड़ी हो गयी है. पुरूष मरीजों के उपयोग में आने वाला शौचालय दस दिन से बंद है जिससे पुरुष मरीजों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है.

पूर्व गृहमंत्री खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने जिस उम्मीद को लेकर करोड़ों की लागत से अस्पताल भवन का निर्माण करवाया था वह उम्मीदें धरातल पर ध्वस्त होती नजर आ रही है.

यह उनका कोई सपना नहीं एक हकीकत है जिसे साकार करके दिखाया है.

जानकारी के अनुसार पुरूष शौचालय बंद होने से जो पीड़ा मरीजों को हो रही है वह किसी से छुपी नहीं है. मगरूर में रहने वाला अस्पताल प्रबंधक एक कलमकार से कहता है कि मेरी ऊपर शिकायत कर दो जिससे मेरा चार्ज छूट जाए, यह क्या न्यायोचित है कि चार्ज तो छोड़ सकता हूं पर अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं को सुधारने का काम नहीं कर सकता है ऐसे विचारों का है खुरई अस्पताल का बीएमओ. अस्पताल में फैली अराजकता को सुधारने के बजाए बीएमओ अधीनस्थ कर्मचारियों को धमका रहा है कि कौन मीडिया वालों को अस्पताल की जानकारी दे रहा है. इससे स्पष्ट होता है कि अस्पताल में अव्यवस्थाओं का दौर जारी है नहीं तोप्रबंधक कर्मचारियों पर कमियों का ढींगरा नहीं फोड़ता?

पत्नी ने प्रेमी संग की थी पति की हत्या

छतरपुर. किशनगढ़ थाना पुलिस ने गुमशुदगी के मामले की जांच करते हुए एक अंधे कत्ल का खुलासा कर मृतक की पत्नी, उसके कथित प्रेमी और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, तीनों ने मिलकर युवक की हत्या की साजिश रची और उसे जंगल में ले जाकर मौत के घाट उतार दिया.मृतक की पहचान पन्ना जिले के नारायणपुरा निवासी संजय मिश्रा के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, 1 जुलाई को संजय मिश्रा की गुमशुदगी दर्ज होने के बाद तलाश शुरू की गई. अमानगंज रोड स्थित निर्माणाधीन पुल के पास जंगल से उनका शव बरामद हुआ.

बारिश के बीच 'मिट्टी सत्याग्रह' शुरू

छतरपुर, 8 जुलाई. छतरपुर-पन्ना की केन-बेतवा लिंक परियोजना, मझगाय, रूंझ, नेगुवा और एनटीपीसी समेत विभिन्न विकास परियोजनाओं से प्रभावित ग्रामीणों का 'चिता आंदोलन' बुधवार को पांचवें दिन भी जारी रहाजय किसान संगठन के बैनर तले चल रहे आंदोलन में भारी बारिश के बावजूद आदिवासी महिला-पुरुष डटे रहे और 'न्याय दो या मार दो' के नारे लगाकर सरकार से उचित मुआवजा और पुनर्वास की मांग करते रहे.

आंदोलन को समर्थन देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर का आमरण अनशन तीसरे दिन में पहुंच गया.आंदोलनकारियों ने बुधवार से 'मिट्टी सत्याग्रह' भी शुरू किया, जिसमें ग्रामीणों ने शरीर पर मिट्टी लगाकर विरोध दर्ज कराया.उनका कहना है कि जब तक वास्तविक प्रभावितों को न्याय नहीं मिलेगा और कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच नहीं होगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. अमित भटनागर ने प्रशासन पर आंदोलनकारियों को डराने-धमकाने और उनकी आवाज दबाने का आरोप लगाया.उनका कहना है कि भूमि अधिग्रहण के दौरान भू-अर्जन कानून-2013 सहित अन्य नियमों का पालन नहीं किया गया.

> आंदोलनकारियों ने सरकार और जिला प्रशासन से सभी विस्थापित परिवारों को उचित मुआवजा व पुनर्वास देने, परियोजनाओं में कथित भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराने तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी आंदोलन स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से चर्चा की, हालांकि दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन सकी.

दाखिल याचिका | 13 जुलाई को सुनवाई संभव

श्रीराम मंदिर चंदा चोरी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

अयोध्या/नई दिल्ली, 8 जुलाई. अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान की चोरी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. इस मामले में दाखिल याचिका पर शीर्ष अदालत 13 जुलाई को सुनवाई कर सकती है.

हालांकि, अभी तक 13 जुलाई की आधिकारिक कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई है, इसलिए उसी दिन सुनवाई होना तय नहीं माना जा सकता. इससे पहले 29 जून को सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने मामले

में तत्काल हस्तक्षेप से इनकार करते हुए कहा था कि नियमित पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए इसे सूचीबद्ध किया जाएगा. अब नियमित अदालत की कार्यवाही शुरू होने के साथ मामले के सूचीबद्ध होने की संभावना जताई जा रही है. याचिका में मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए इसे सीबीआई को सौंपने और विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का अनुरोध किया गया है. मामले की जांच कर रही एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में अविनाश शुक्ला को मुख्य आरोपी बताया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, करीब 40 दिनों तक चली कथित चोरी के दौरान दान राशि की गिनतीगिनती के समय लगभग 70 घटनाओं के होने का संदेह है.

> जांच एजेंसी का कहना है कि पूरा घटनाक्रम अविनाश शुक्ला के इर्द-गिर्द केंद्रित था और उसकी निशानदेही पर पांच अन्य लोगों तक जांच पहुंची. एसआईटी रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से दान राशि की गिनती के लिए नियुक्त कर्मचारियों को कटौती के बाद प्रतिमाह 15 हजार रुपये से कुछ अधिक वेतन मिलता है. वहीं, जांच में अविनाश शुक्ला के बैंक खातों में गिरफ्तारी से पहले उसकी ज्ञात आय की तुलना में अधिक वित्तीय लेन-देन सामने आने का भी उल्लेख किया गया है.

हत्या के 12 दोषियों को उम्रकैद

▶ दो साल पुरानी रंजिश में खेत पर किया था हमला

छतरपुर, 8 जुलाई. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार जैन की अदालत ने नौगांव थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े हुई वृद्ध शंकर यादव की हत्या के बहुचर्चित मामले में 12 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है.

न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सभी आरोपियों को हत्या का दोषी माना. अभियोजन के अनुसार 13 जुलाई 2024 को फरियादी शैलेंद्र यादव अपने पिता शंकर यादव के साथ धीरजपुर स्थित खेत में मूंगफली की फसल में दवा डाल रहे थे.इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते करण यादव, देशराज, बुद्धि सिंह, जाहर सिंह, रोहित, महंत, कल्लू, रामलाल, राजू, हल्काई, विशेष और बृजकिशोर यादव हथियार लेकर मौके पर पहुंचे और शंकर यादव पर हमला कर दिया.

करण यादव ने कुल्हाड़ी से गले पर वार किया, जबकि अन्य आरोपियों ने भी लाठी-डंडों और कुल्हाड़ियों से हमला किया.गंभीर रूप से घायल शंकर यादव की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई.